

**कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (राजस्थान)**

क्रमांक : 5278-5320

दिनांक : 29/11/2024


**-: कार्यालय आदेश :-**

में मौहम्मद आजम, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15(2) व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **दिसम्बर-2024** में पढ़ने वाले विभिन्न राजपत्रित अयकाशों के लिए कोटा न्याय-क्षेत्र में स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के पुलिस थानों में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात् में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई हेतु निम्न सारणी अनुसार अधिकारीगण को अधिकृत करता हूँ, जो अपने न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त कार्य सम्पादित करेंगे तथा न्यायालय समय के पश्चात अपने आवास पर उपस्थित रहकर उक्त कार्य करेंगे व बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।

क्र.सं.	न्यायिक अधिकारी का नाम व पदस्थापन श्री/श्रीमती/सुश्री	अयकाश तिथि	मोबाईल नंबर
1	वीना मोहानानी, ए.सी.जे.एम. नंबर - 4 कोटा	01.12.2024	9829109559
2	कृतिका शेखावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 (उत्तर), कोटा	08.12.2024	7757844503
3	अमन गुसा, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-5 (दक्षिण), कोटा	14.12.2024	9407346581
4	मिति श्रीवास्तव विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एफ्ट) क्रम-2 कोटा	15.12.2024	9479376601
5	श्री रोहित सक्सेना, किराया अधिकरण, कोटा	22.12.2024	9414967750
6	नीलम मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-4 (दक्षिण), कोटा	25.12.2024	6377759169
7	नेहा मौर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर), कोटा	28.12.2024	9828838795
8	निखिल टांक, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-5 (उत्तर), कोटा	29.12.2024	9644482989
9	रजत गुसा, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1 (दक्षिण), कोटा	01.01.2025	9737824150

**नोट:-**

- सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से दोपहर 1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम. तक एवं प्रातःकालीन न्यायालय समय में 9.00 ए.एम. से 11.00 ए.एम. तक न्यायालय परिसर कोटा में अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
- रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अयकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अयकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से कोटा पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के कोटा प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पीआई/2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी भी उक्त अधिकारी करेंगे।
- तारांकित अयकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अयकाश के लिए मान्य होगी।
- राजकीय अयकाश के दिन आवश्यक फौजदारी कार्य (रिमाण्ड ड्यूटी) हेतु अधिकृत अधिकारी के न्यायालय में बैठने के समय के अतिरिक्त उक्त ड्यूटी दिनांक को शेष समय एवं आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक उक्त आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट